(121)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1124–पीबीआर/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–3–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 257/अपील/1996–97

.....

नन्दू पिता शंकर चुनपत (मृत वारिसान :–)
मांगीलाल पुत्र स्व0नन्दू
निवासी ग्राम कालूखेडी तहसील धार
जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

1–तोलाराम पुत्र रूगनाथ चुनपत
2–कैलाश पुत्र रूगनाथ चुनपत
3–दुलीचन्द पुत्र रूगनाथ चुनपत
4–इमरतलाल पुत्र रूगनाथ चुनपत
5–ननकीबाई पत्नी रूगनाथ
6–मांगीलाल पुत्र शांतिलाल चुनपत
7–जयन्तीलाल पुत्र शांतिलाल चुनपत
8–लालचन्द पुत्र नन्नू चुनपत
9–देवीलाल पुत्र नन्नू चुनपत
समस्त निवासीगण ग्राम कालूखेडी
तहसील धार जिला धार

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/11/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–3–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कालूखेड़ी में उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 3 रकबा 4.250 हेक्टेयर स्थित होकर उक्त भूमि बैलगाडी बगैहरा लानें ले जाने का वहिवाटी एवं परम्परागत रास्ता है जिसे अनावेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 13–10–1992 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन मार्ग 4 फीट चौडा होना मानते हुये उसे खोल जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–3–1997 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–3–2001 को आदेश पारित द्वितीय अपील निरस्त की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता है जिससे वह अपने कृषि उपकरण ले जाने हेतु उपयोग में लाता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पैदल रास्ता देने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते समय किये गये स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर पाया गया था जिससे आवेदक अपने कृषि उपकरण ले जाया करता था इसके बावजूद भी अंतिम आदेश में पैदल रास्ता देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख देखे आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती आदेश पारित किये गय हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आई

साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि आवेदक कृषि उपकरण परम्परागत रूप से शासकीय काकंड के रास्ते से लाता ले जाता रहा है । इससे स्पष्ट है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिनमें हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं है । इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–3–2001 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर